

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14619/2025

Mohammad Shahbaz S/o Shri Nizammuddin, Aged About 34 Years, R/o House No. 1143, Gali No. 14, E-Block, Shriram Colony, Police Station Khajuri Khas, North-East, Delhi. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Asad Ali

For Respondent(s) : Mr. Amit Gupta, Adl. G.A. cum P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

08/12/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद शहबाज** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**29.10.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **साईबर आयुक्तालय, जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**36/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **319(2), 318(2), 316(2), 61(2)(बी)** भारतीय न्याय संहिता एवं **66(सी)ए 66(डी)** आई0टी0 एक्ट में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 23.09.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि उनके खाते में दस लाख रुपए जमा हुए थे, जो वापिस जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई भी आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र

प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी दिनांक-23.09.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद शाहबाज पुत्र श्री निजामुद्दीन** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J